पत्रांक–02 / स्था0–गै0प्रा0आ0–21–01 / 2017 / ..... / आ0प्र0

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

प्रत्यय अमृत,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी, बिहार।

पटना–15, दिनांक–

विषयः– विद्युत स्पर्शाघात से हुई घटना के फलस्वरूप मानव–क्षति, पशु–क्षति एवं फसल आदि की क्षति हेतु मुआवजा / अनुग्रह अनुदान संबंधी मार्गदर्शन देने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विद्युत स्पर्शाघात से घटित घटना के फलस्वरूप हुई मानव मृत्यु के साथ ही पशु–क्षति, फसल एवं सामान आदि की क्षति के संबंध में प्रायः विभिन्न जिलों से मार्गदर्शन की माँग की जाती है।

इस संबंध में पूर्व में भी विभिन्न विभागीय पत्रों / परिपत्रों के माध्यम से यह दिशा–निर्देश दिया जाता रहा है कि विद्युत स्पर्शाघात की घटना के फलस्वरूप मानव अथवा पशु की क्षति होने पर आपदा प्रबंधन विभाग से कोई अनुग्रह अनुदान / मुआवजा अनुमान्य नहीं है। परन्तु, उक्त के संदर्भ में इस तथ्य से अवगत कराना भी प्रासंगिक प्रतीत होता है कि यदि कोई घटना शॉर्टसर्किट / विद्युत चिंगारी से उत्पन्न आग लगने से हुई हो तो उक्त घटना को अग्निकांड की घटना (प्राकृतिक आपदा) मानते हुए मानव, पशु (मवेशी), अथवा फसल आदि की क्षति हेतु आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के साहाय्य मानदर (विभागीय परिपत्र सं0–1973 दिनांक–26.05.2015) के अनुरूप अनुग्रह अनुदान अनुमान्य होगा। किन्तु, अनुग्रह अनुदान के भुगतान से पूर्व इस तथ्य की पुष्टि सक्षम पदाधिकारी से कराना वांछित होगा कि घटना वस्तुतः आग लगने से ही हुई है।

अतः विद्युत शॉर्टसर्किट या विद्युत चिंगारी से होने वाले अग्निकांड की ऐसी घटनाओं की समीक्षा एवं जाँचोपरान्त उपर्युक्त दिये गये मार्गदर्शन के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई की जाय। विद्युत स्पर्शाघात की अन्य घटनाओं, जो आग लगने से नहीं हुई हो, में मानव मृत्यु के साथ ही पशु–क्षति में आपदा प्रबंधन विभाग से कोई अनुदान / मुआवजा अनुमान्य नहीं है।

विश्वासभाजन
ह0 / –
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–02 / स्था0–गै0प्रा0आ0–21–01 / 2017 / 2947 / आ0प्र0, पटना–15 दिनांक– 03 / 10 / 17

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेवसाईट पर शीघ्र अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव।

E:\2017\Ajay Sir\गैर प्राकृतिक आपदा\letter 18-09-2017 Electric Short Circuit.docx